

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

- ता०

गुलजरी खतून वनक शहजान मित्रों के रहजान मित्रों

लूमाथ जिला- लातेहार

वाद संख्या- 44 / 2022-23

कार

की
और
तोख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कारवाई व
बारे में टिप्पण
तारीख सहित

3

2

12.22

भावेदिका गुलजरी खतून फति

गवखर मित्रा जन्म 1960- बालूमाथ के ठाण जमीन

दिया गया है कि भोजा- बालूमाथ के खतून 408

प्लॉट नं० 236, 237 रकबा 1.26 एकड़ भूमि

रहित मित्रों के आगे मित्रों के दुसरी मित्रों के कुलमी

मित्रों के नाम दन हैं। दुसरी मित्रों के वंशज अफगार

मित्रों के हिले में 21/2 भूमि हैं। नरि हिले की

भूमि ने 30.11.2022 के शहजान मित्रों के

रहजान मित्रों द्वारा वाजवरजमीन निव खोहा जा रहा

का मगा करण पर भाखीर खान ^{भाखीर} दिला जा

रहा है। साथ हेतु आवेदन के वल्लिक ने काह

की आर्वाह प्रमाण की जा नकि है। अतः वन में

नोटिस किम 22। अतः वन आगे अपने खतून

वजमाली के साथ काह की अन्तिम तिथि है

आदेश की क्र. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
16.10.2023	अगिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष अनुपस्थित । उभय पक्ष के नैतिक निर्णय करें। अगिलेख दिनांक 16.10.23 के उपस्थापित करें। अंशु अग्रवाल मान्यताएं	
16.10.2023	अगिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष अनुपस्थित । अगिलेख दिनांक 12.11.2023 के उपस्थापित करें। अंशु अग्रवाल मान्यताएं	
12.11.2023	अगिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष अनुपस्थित । उभय पक्ष के नैतिक निर्णय करें। अगिलेख दिनांक 10.12.2023 के उपस्थापित करें। अंशु अग्रवाल मान्यताएं	
10.12.2023	अगिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष अनुपस्थित । उभय पक्ष की लगातार अनुपस्थिति के कारण यह की नज़र में आने की संभावना है। अंशु अग्रवाल मान्यताएं	